61

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा संभाग–रीवा
जिला–रीवा (म.प्र.)

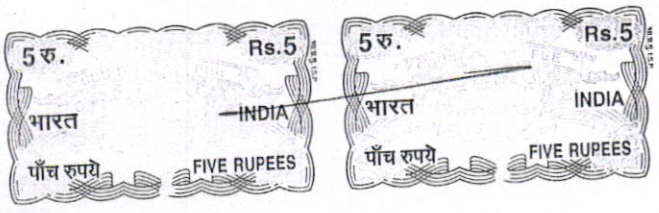

1. गीता तिवारी पत्नी श्री मोतीलाल तिवारी उम्र 35 वर्ष, पेशा घरेलू कार्य निवासी ग्राम चौका–सोनवर्षा, पोस्ट देवतालाब, थाना–लौर, उप तह0 देवतालाब, मऊगंज, जिला रीवा (म.प्र.)

R5114-II/17

.....पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. यज्ञनारायण कुशवाहा उम्र 50 वर्ष पेशा खेती।
2. रामधनी कुशवाहा उम्र 40 वर्ष पेशा अध्यापक।
   दोनो के पिता स्व. रामकिशोर कुशवाहा
3. बड़किया बेवा पत्नी स्व. रामकिशोर उम्र 80 वर्ष, पेशा घरेलू कार्य।
   सभी निवासी ग्राम चौका–सोनवर्षा पोस्ट देवतालाब, थाना–लौर, उप तह0 देवतालाब, मऊगंज, जिला रीवा (म.प्र.)

.....गैरपुनरीक्षणकर्तागण

पुनरीक्षण विरूद्ध निर्णय एवं आदेश नक्शा तर्मीम राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी–रा.नि. मण्डल देवतालाब, आ.नं. 82/1 व 82/2 स्थित ग्राम चौका– सोनवर्षा, तह0 मऊगंज, जिला रीवा म.प्र. (नक्शा तर्मीम आदेश दिनांक का कोई इन्द्राज नहीं है।)

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

अन्य के अतिरिक्त पुनरीक्षण के आधार निम्न हैः–

संक्षिप्त विवरण

यह कि आ.नं. 82/2 रकवा 0.036 स्थित ग्राम चौका–सोनवर्षा तह0 मऊगंज की स्थित आराजी है, जिसे पुनरीक्षणकर्ता नें जरिये पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 26 मार्च 2008 को तत्समय भूमिस्वामी

गीता तिवारी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक 5114–दो/निगरानी/2017 जिला रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5/4/18	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त देवतालाब तहसील मउगंज जिला रीवा के प्रकरण कमांक निल में नक्शा के उपर ही किये गये तरमीम आदेश दिनॉक 7–3–17 के विरूद्व म.प्र. भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के कम में निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि राजस्व निरीक्षक ने नक्शे के उपर ही रेखांकित कर नक्शा तरमीम किया है जिसके प्रस्ताव भी उनसे सक्षम न्यायालय ने नहीं मांगे हैं। नक्शा तरमीम कार्यवाही म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 70 के अंतर्गत की जाती है जिसके आदेश की प्रथम अपील उपखंड अधिकारी को होगी। **म.प्र.राज्य बनाम जयरामपुर को–आपरेटिव्ह सोसायटी 1979 रा.नि. 465 तथा केशरवाई विरूद्व बल्दुआ 1993 रा.नि. 222 में बताया गया है कि मामला प्रथमतः उच्चतर प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत न करते हुये सवसे निचले न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिये।** फलस्वरूप राजस्व निरीक्षक व्दारा के नक्शा तरमीम आदेश के विरूद्व सीधे राजस्व मण्डल में निगरानी सुनना उचित नहीं है। आवेदक इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त कारणों से निगरानी सुनवाई–योग्य न होने से इसी स्तर पर निरस्त की जाती है। सदस्य	